भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1362

08.12.2025 को उत्तर के लिए

पराली जलाने पर रोक लगाना

1362. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान शीतकालीन सत्र में पंजाब राज्य में पराली जलाने की कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं;

(ख) उत्तर भारत में पराली को जलाये जाने पर रोक लगाने और वायु प्रदुषण को नियंत्रित करने हेतु राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में किसानों के लिए नए प्रोत्साहन या दंड लागू किए हैं;

(घ) वर्ष 2025 में स्थानीय फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बजटीय आवंटन और जारी की गई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा प्रदान करें, और

(ङ) वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने में अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा पिछले वर्षों की तुलना में क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर से 30 नवंबर 2025 के दौरान पंजाब में धान के अवशेष जलाने की कुल 5114 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

i. किसानों को स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन और विभिन्न अनुप्रयोगों में धान के भूसे के बहि-स्थाने उपयोग जैसे वैकल्पिक उपायों से सहायता प्रदान की जाती है। स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन में कुशल और किफायती मशीनीकृत साधनों/फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के माध्यम से खेत में ही धान के अवशेष का मल्चिंग/ समावेशन शामिल है। धान की पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 2018-19 से लागू की गई है।

ii. इस योजना के अंतर्गत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और किसान एक उद्यमी के रूप में), किसानों की सहकारी समितियों (कृषि/बागवानी/मखाना इत्यादि), डे-एनआरएलएम क्लस्टर स्तरीय संघों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। धान की आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को उच्च एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर और टेलीहैंडलर जैसे मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक 65% की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को शुरू करने के लिए राज्यों और आईसीएआर को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अनुशंसित मशीनों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देती है, जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो, क्रॉप रीपर्स और रीपर बाइंडर, फसल अवशेषों के स्व-स्थान प्रबंधन और पुआल के संग्रह के लिए बेलर और स्ट्रॉ रेक, ताकि आगे बाह्य स्थान उपयोग किया जा सके।

iii. 2018-19 से 2025-26 (02.12.2025 तक) की अवधि में, 4090.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्यों ने किसानों को 3.45 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं और राज्यों में 43270 से अधिक सीएचसी स्थापित किए हैं।

iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 09.05.2025 के निर्देश 90 के माध्यम से छोटे/सीमांत किसानों के लिए सीआरएम मशीनों की किराया-मुक्त उपलब्धता की योजना बनाने का निर्देश दिया।

v. सीएक्यूएम ने निर्देश संख्या 92 दिनांक 03.06.2025 के अनुसार पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायो-मास छर्रों/ब्रिकेट के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्देश दिया, जो खुले में धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करने के साधनों में से एक है।

vi. सीएक्यूएम ने दिंनाक 01 अक्टूबर 2025 को निर्देश संख्या 95 जारी किया है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली के एनसीटी में उपायुक्त/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धान की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने की दिशा में प्रभावी प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता के मामले में उनके विरुद्ध अपने क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

vii. सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास आधारित पेलेट्स, टोरेफाइड पेलेट्स/ब्रिकेट्स (5-10% तक) को कोयले के साथ मिलाकर जलाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि बायोमास के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

viii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11.07.2023 की यथा संशोधित अधिसूचना के माध्यम से, पर्यावरण (थर्मल पावर प्लांट द्वारा फसल अवशेष का उपयोग) नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिसमें एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में थर्मल पावर प्लांट द्वारा कोयले के साथ फसल अवशेष से बने छर्रों या ब्रिकेट का न्यूनतम पांच प्रतिशत मिश्रण अनिवार्य किया गया है, ऐसा न करने पर उक्त नियमों में थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ, उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट के अनुसार, एक निश्चित राशि का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया गया है।

ix. सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों को यह निदेश जारी किया है कि वे खुले में धान के अवशेष जलाने की प्रथा को खत्म करने के एक उपाय के रूप में लिए, एनसीआआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान की पराली से बने बायोमास पेलेट्स/ब्रिकेट का उपयोग अनिवार्य करें।

x. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टोरीफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

xi. सीपीसीबी की 31 फ्लाइंग स्क्वॉड को 01-10-2025 से 30-11-2025 तक पंजाब और हरियाणा के चिह्नित हॉटस्पॉट जिलों में तैनात किया गया है। ताकि वे किए जा रहे कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखें और जिला स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों/अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सीएक्यूएम सेल के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। इन स्कावड दलों के माध्यम से दैनिक आधार पर अद्यतन जानकारी, फोटोग्राफिक साक्ष्य और निदेशों के अनुपालन की सूचना प्राप्त होती है।

उपर्युक्त उपायों/कार्रवाई के अतिरिक्त, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की है, जिसमें पराली जलाने से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकें इस प्रकार हैं:

i. फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दे पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और कृषि और किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2025 को मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई;

ii. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2025, 16.09.2025, 10.10.2025, 11.11.2025 और 03.12.2025 को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं, ताकि पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के उपाय करने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा सके।

पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में वर्ष 2022 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2025 में धान की कटाई के मौसम के दौरान आग लगने की घटनाओं में लगभग 90% की कमी दर्ज की है।

समन्वित प्रयासों के कारण दिल्ली में, वर्ष 2016 में अच्छे दिवसों (एक्यूआई<200) की संख्या 110 दिवस थी जो वर्ष 2025 में बढ़कर 200 दिन हो गई है। इस वर्ष एक्यूआई में कुल मिलाकर सुधार हुआ है, और बहुत खराब दिवस (एक्यूआई: 301-400) और गंभीर दिन (एक्यूआई 401 से अधिक) 2024 के 71 दिवसों से घटकर 2025 में 50 दिन हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में, 2018 से 2025 तक (2020 - कोविड लॉकडाउन को छोड़कर) सबसे कम औसत एक्यूआई दर्ज किया गया है।

*****